न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 221/2017

–:: वादीगण ::–

1. गुदड़राम पुत्र चम्पा
2. सकुड़ी पत्नी चम्पा
3. परमाई पुत्री चम्पा
   निवासी–भेरजी का बाड़ीया रास, तहसील–जैतारण, हाल निवासी– 'नदीपुरा की ढाणी जसनगर, तहसील–रियाबड़ी, जिला–नागौर राज.
4. शारदा पुत्री चम्पा,
   निवासी–भेरजी का बाड़िया रास, तहसील–जैतारण, हाल निवासी– भंवाल माता मार्ग जसनगर, तहसील–रियाबड़ी, जिला–नागौर राज.
5. नेतुदेवी पुत्री चम्पा
   निवासी–भेरजी का बाड़िया रास, हाल निवासी– चौहानों की ढाणी रास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. प्रेमचन्द्र पुत्र धन्ना
2. पुखराज पुत्र धन्ना
3. सायरी बेवा धन्ना
4. हरजीराम पुत्र मोती
5. जगदीश पुत्र मोती
6. उगमाराम पुत्र मोती
7. रमेश पुत्र मोती
8. गोपाल पुत्र मोती
9. मलादेवी बेवा मोती
10. रूपाराम पुत्र चन्द्राराम
11. छोटूराम पुत्र चन्द्राराम
12. सत्यनारायण पुत्र चन्द्राराम
13. भंवरलाल पुत्र सम्पत
14. छोटूलाल पुत्र सम्पत
15. गणपतलाल पुत्र सम्पत
16. रामदेव पुत्र सम्पत
17. सुनिल सांखला पुत्र भंवरलाल नाबालिग वलीया माता छोटीदेवी पत्नी भंवरलाल
18. प्रकाश पुत्र पप्पुराम
19. सुरेश पुत्र पप्पुराम
20. दिलखुश पुत्र पप्पुराम
21. पपुड़ी पत्नी पप्पुराम
22. महेन्द्र पुत्र मंगला
23. श्रीकिशन पुत्र मंगला
24. राजूराम पुत्र मंगला
25. मुन्नाराम पुत्र मंगला
26. हरजी पुत्र पुसा
27. देवी पुत्र बालुराम
28. जगदीश पुत्र बालुराम
29. छटी पत्नी भंवरलाल
30. बिदामीदेवी पत्नी दयालराम
    कौम–माली, निवासीगण–भेरजी का बाड़िया रास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली
31. राधा पत्नी कालू
32. परमा पत्नी मोडाराम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कौम–गुर्जर, निवासीगण–खेड़ा
रास, तहसील–जैतारण
जिला–पाली राज.।

33. राजस्थान सरकार बजरिये
तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर
जैतारण, तहसील–जैतारण,
जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

तारीख रजू:.4/12/2017

उपस्थित:–

1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 18/11/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित धारा 136 एल.आर एक्ट के तहत् विरुद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि ग्राम–रास प्रथम, पटवार हल्का– रास प्रथम, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में निम्न विवरण की आराजी स्थित है कि खाता संख्या 357 खसरा नंबर 1660 रकबा 00–01 बिस्वा किस्म गै. मु. बेरा, खसरा नंबर 1667 रकबा 00–18 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खाता संख्या 359 खसरा नंबर 1664 रकबा 16–04 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खाता संख्या 360 खसरा नंबर 1665 रकबा 07–11 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 1666 रकबा 09–07 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 361 खसरा नंबर 1669 रकबा 31–00 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खाता संख्या 362 खसरा नंबर 1669/1 रकबा 03–02 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा 07 कुल रकबा 68–03 बिस्वा उपरोक्त विवरण की कृषि भूमि आई हुई है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी शामलाती कब्जे काश्त की खातेदार कृषि भूमि है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी खतौनी की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 32 सह खातेदार के रूप में उक्त कृषि भूमि में काबिज खातेदार काश्तकार है और उक्त कृषि भूमि को निर्विवाद एवं बरोकटोक अपने हक एवं हिस्सेनुसार शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के स्व. पिता चम्पा पुत्र सावल का हिस्सा उपरोक्त खसरान की भूमि मे कूल रकबे में 1/24 वां हिस्सा आता था। जिसमें से वादीगण के पिता स्व. चम्पा पुत्र सावल ने अपने 1/24 हिस्से में से 40/57 वां हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 17 को जरिये पंजीबद्ध बेचान के दिनांक 11.06.2007 को बेचान करते हुए हस्तान्तरित कर दिया और शेष 1/24 का 17/57 हिस्सा वादीगण के स्व. पिता चंम्पा पुत्र सावल ने अपने नाम ही रखा। पंजीबद्ध बेचान की फोटो वाद के साथ पेश है। वादीगण के स्व. पिता चम्पा पुत्र सावल द्वारा किये गये उक्त भूमि के पंजीबद्ध बेचान के तहत म्यूटेशन नंबर 3019 दिनांक 03.08.2007 हल्का पटवारी रास द्वारा दर्ज किया गया। उस दरम्यान बेचाननामे के तहत बेचान की गई भूमि का हिस्सा 1/24 का 40/57 तो सही अंकित कर दिया। लेकिन शेष भूमि जो

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादीगण के पिता स्व. चम्पा पुत्र सावल के खाते में शेष भूमि दर्ज रखनी थी जो नही रखी और वादीगण के पिता स्व. चम्पा पुत्र श्री सावल के हक हिस्से की बेचान के बाद बची शेष भूमि 1/24 का 17/57 के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता के नाम की जगह प्रतिवादीगण संख्या 18 से 20 के दादा व प्रतिवादीगण संख्या 21 के ससुर व प्रतिवादीगण संख्या 22 से 25 के पिता मंगला पुत्र सावल का नाम अंकित कर दिया जो वादीगण के पिता स्व चम्पा पुत्र सावल का सगा भाई था और मंगला पुत्र सावंल जो पहले से ही राजस्व रेकर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज था जिसका हिस्सा 1/24 वादीगण के पिता स्व.चम्पा पुत्र सावल के समान ही आता था जिसे उक्त नामान्तकरण के तहत राजस्व रेकर्ड में पूर्णतया विलोप्ति कर दिया, जो गलत किया है। क्योंकि मंगला पुत्र सावल ने अपने हक हिस्से की भूमि में से किसी प्रकार का कोई बेचान या हस्तांतरण नहीं किया है। वादपत्र में वर्णित भूमियों के राजस्व रेकर्ड व म्यूटेशन नंबर 3019 दिनांक 03.08.2007 में बेचान के तहत 1/24 का 40/57 के बाद शेष बची 1/24 का 17/57 हिस्सा की भूमि जो वादीगण के पिता स्व. चम्पा पुत्र सावल के नाम दर्ज होनी चाहिए थी जो मंगला पुत्र सावल के नाम दर्ज कर दी जो इन्द्राज गलत है तथा एक रॉन्ग एन्ट्री है, जबकि वादीगण के पिता स्व चम्पा पुत्र साल की 1/24 का 17/57 हिस्सा की भूमि व मंगला पुत्र सावल के 1/24 वां हिस्सा की भूमि है जो वादीगण अपने राजस्व रेकर्ड में अपने पिता स्व. चम्पा पुत्र सावल का 1/24 का 17/57 हिस्सा एवं मंगला पुत्र सावल का 1/24 हिस्सा दर्ज करवाने एवं राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने का वादीगण विधिक रूप से अधिकारी है। वादीगण के स्व. पिता चम्पा पुत्र सांवल का उक्त भूमि में बेचान के पश्चात 1/24 का 17/57 वां हिस्सा व मंगला पुत्र सावल का 1/24 वां हिस्सा होने के समर्थन में जमांबदी संवत 2057 से 2060, 2061 से 2064 पेश है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण संख्या 33 राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कानून अवधि का नोटिस दिया जाना न्यायोचित है किन्तु वाद की परिस्थितियां इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकी है कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा। इस हेतु अलग से 80(02) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है। वाद कारण दिनांक 25.10.2017 को उत्पन्न हुआ जब वादी संख्या 01 ने अपने स्व. पिता चम्पा पुत्र सावल के नाम की खातेदारी कृषि भूमियों का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाने हल्का पटवारी रास के समक्ष उपस्थित हुआ तब हल्का पटवारी रास ने वादी संख्या 01 को कहा कि वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में आपके पिता स्व चम्पा पुत्र सावल का नाम दर्ज नहीं है। तब वादीगण ने उक्त खसरा नम्बरान की भूमियों के राजस्व रेकर्ड की नकले व म्यूटेशन के स्व.पिता चम्पा पुत्र सावल द्वारा अपने हिस्से 1/24 का 40/57 की भूमि बेचान के तहत म्यूटेशन संख्या 3019 दर्ज हुआ उस समय हल्का पटवारी ने गलती से वादीगण के स्व. पिता चम्पा पुत्र सावल का नाम शेष भूमि में अंकित नहीं किया और शेष भूमि में वादीगण के पिता के भाई मंगला पुत्र सावल का नाम दर्ज कर दिया और मंगला पुत्र सावल जो पहले से ही राजस्व रेकर्ड में वादीगण अपने पिता का शेष हिस्सा 1/24 का 17/57 दर्ज करवाने एवं प्रतिवादीगण संख्या 18 से 25 को मंगला पुत्र सावल के उतराधिकारी के रूप में मंगला पुत्र सावल के 1/24 हिस्से में खातेदार एवं हिस्सादार दर्ज करवाने का वादपत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो अन्दर म्याद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 16, 26 से 33 बावजूद

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

समम्न तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 17 से 25 की ओर से वकालत नामा पेश हुआ। एवं इकबालिया जवाब दावा इस आशय का पेश किया कि माफिक इस्तदुआ वादीगण का वादपत्र वादीगण के पक्ष में निर्णित व डिक्री किया जाता है तो इसमें प्रतिवीदगण को कोई आपत्ति व ऐतराज नहीं है, माफिक इस्तदुआ वादीगण का वादपत्र डिक्री फरमावें। वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी का साक्ष्य का शपथपत्र पेश किया, सामिल मिसल है। बहस विद्वान वकील वादीगण व प्रतिवादीगण की सुनी गई।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी सवंत 2074-76 के खाता संख्या 357 खसरा नंबर 1660 रकबा 00-01 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 1667 रकबा 00-18 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खाता संख्या 359 खसरा नंबर 1664 रकबा 16-04 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खाता संख्या 360 खसरा नंबर 1665 रकबा 07-11 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 1666 रकबा 09-07 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 361 खसरा नंबर 1669 रकबा 31-00 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खाता संख्या 362 खसरा नंबर 1669/1 रकबा 03-02 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा 07 कुल रकबा 68-03 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 17 का 40/57 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 का 1/24 वां हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजीयात में वादीगण के पिता चम्पा पुत्र सावल का कुल रकबे में 1/24 वां हिस्सा आता था जिसमें से वादीगण के पिता चम्पा पुत्र सावल ने अपने 1/24 वें हिस्से में से 40/57 वां हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 17 को जरिये पंजीबद्ध बेचान के दिनांक 11.06.2007 को बेचान करते हुए हस्तांरित किया और शेष 1/24 का 17/57 वां हिस्सा वादीगण के पिता ने अपने पास रखा। उक्त पंजीबद्ध बेचान के तहत म्यूटेशन नंबर 3019 दिनांक 03.08.2007 नामांतकरण दर्ज करते समय बेचान की गई भूमि का हिस्सा 1/24 का 40/57 तो सही अंकित कर दिया लेकिन शेष 17/57 वां हिस्सा वादीगण के पिता का नाम दर्ज होना था परन्तु इनकी जगह प्रतिवादीगण संख्या 18 से 25 के नाम अंकित कर दिया। इसी तरह वादीगण के पिता के सगे भाई मंगला पुत्र सावल जो पहले से राजस्व रेकर्ड में खातेदार के रूप में 1/24 वां हिस्सा दर्ज था, जो नामान्तकरण के दर्ज करते समय पूर्ण हिस्सा विलोपित कर दिया, जो गलत है। बहस विद्वान वकील वादीगण व प्रतिवादीगण पर गौर कर मनन किया गया। वादी के शपथ-पत्र, अन्य जमाबंदी में अंकन और प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से डिक्री किया जाता है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अंतर्गत आदेश धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 एल.आर एक्ट वादीगण के पक्ष में साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम-रास प्रथम, पटवार हल्का- रास प्रथम, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में निम्न विवरण की आराजी स्थित है कि खाता संख्या 357 खसरा नंबर 1660 रकबा 00-01 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 1667 रकबा 00-18 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खाता संख्या 359 खसरा नंबर 1664 रकबा 16-04 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खाता संख्या 360 खसरा नंबर 1665 रकबा 07-11 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 1666 रकबा 09-07 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 361 खसरा नंबर 1669 रकबा 31-00 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खाता संख्या 362 खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

1669/1 रकबा 03–02 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा 07 कुल रकबा 68–03 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 17 के 40/57 वां हिस्सा के साथ वादीगण को 17/57 = 1/24 वां हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादी संख्या 18 से 25 को संपूर्ण भूमि में 1/24 वें हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 18 से 25 के 7/57 = 1/24 की रोंग एन्ट्री को हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष यथावत रहेगा। तदनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। इसी कदर पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रांवली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक **18/11/2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-:: वादीगण ::- बनाम -:: प्रतिवादीगण ::-

वादीगण

1. गुदड़राम पुत्र चम्पा
2. सकुड़ी पत्नी चम्पा
3. परमाई पुत्री चम्पा
   निवासी-भेरजी का बाड़ीया रास, तहसील-जैतारण, हाल निवासी- नदीपुरा की ढाणी जसनगर, तहसील-रियाबड़ी, जिला-नागौर राज.
4. शारदा पुत्री चम्पा,
   निवासी-भेरजी का बाड़िया रास, तहसील-जैतारण, हाल निवासी- भंवाल माता मार्ग जसनगर, तहसील-रियाबड़ी, जिला-नागौर राज.
5. नेतुदेवी पुंत्री चम्पा
   निवासी-भेरजी का बाड़िया रास, हाल निवासी- चौहानों की ढाणी रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.

प्रतिवादीगण

1. प्रेमचन्द्र पुत्र धन्ना
2. पुखराज पुत्र धन्ना
3. सायरी बेवा धन्ना
4. हरजीराम पुत्र मोती
5. जगदीश पुत्र मोती
6. उगमाराम पुत्र मोती
7. रमेश पुत्र मोती
8. गोपाल पुत्र मोती
9. मलादेवी बेवा मोती
10. रूपाराम पुत्र चन्द्राराम
11. छोटूराम पुत्र चन्द्राराम
12. सत्यनारायण पुत्र चन्द्राराम.
13. भंवरलाल पुत्र सम्पत
14. छोटूलाल पुत्र सम्पत
15. गणपतलाल पुत्र सम्पत
16. रामदेव पुत्र सम्पत
17. सुनिल सांखला पुत्र भंवरलाल
    नाबालिग वलीया माता छोटीदेवी पत्नी भंवरलाल
18. प्रकाश पुत्र पप्पुराम
19. सुरेश पुत्र पप्पुराम
20. दिलखुश पुत्र पप्पुराम
21. पपुड़ी पत्नी पप्पुराम
22. महेन्द्र पुत्र मंगला
23. श्रीकिशन पुत्र मंगला
24. राजूराम पुत्र मंगला
25. मुन्नाराम पुत्र मंगला
26. हरजी पुत्र पुसा
27. देवी पुत्र बालुराम
28. जगदीश पुत्र बालुराम
29. छटी पत्नी भंवरलाल
30. बिदामीदेवी पत्नी दयालराम
    कौम-माली, निवासीगण-भेरजी का बाड़िया रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली
31. राधा पत्नी कालू
32. परमा पत्नी मोडाराम
    कौम-गुर्जर, निवासीगण-खेड़ा रास, तहसील-जैतारण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जिला–पाली राज.।

33. राजस्थान सरकार बजरिये
तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर
जैतारण, तहसील–जैतारण,
जिला–पाली राज.।

मु.न :–221/17

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....–........ व हाजरी श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व महेन्द्र प्रजापत प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण अंतर्गत आदेश धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 एल.आर एक्ट वादीगण के पक्ष में साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम–रास प्रथम, पटवार हल्का– रास प्रथम, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में निम्न विवरण की आराजी स्थित है कि खाता संख्या 357 खसरा नंबर 1660 रकबा 00–01 बिस्वा किस्म गै. मु. बेरा, खसरा नंबर 1667 रकबा 00–18 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खाता संख्या 359 खसरा नंबर 1664 रकबा 16–04 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खाता संख्या 360 खसरा नंबर 1665 रकबा 07–11 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 1666 रकबा 09–07 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 361 खसरा नंबर 1669 रकबा 31–00 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खाता संख्या 362 खसरा नंबर 1669/1 रकबा 03–02 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा 07 कुल रकबा 68–03 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 17 के 40/57 वां हिस्सा के साथ वादीगण को 17/57 = 1/24 वां हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादी संख्या 18 से 25 को संपूर्ण भूमि में 1/24 वें हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 18 से 25 के 7/57 = 1/24 की रोंग एन्ट्री को हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष यथावक्त रहेगा। तदनुरुप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। इसी कदर पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.. ....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18/11/2019 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.11.27 13:05:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: